सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
राजस्व वाद संख्या 91/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – काबरा

श्री नारायण सिहं पुत्र श्री खंगारसिंह आयु 64 साल जाति रावत निवासी थूनी थाक तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब ना म

1- श्री टील सिंह पुत्र श्री खंगार सिंह आयु 71 साल जाति रावत
2- श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह आयु 25 साल
3- श्री कमल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह आयु 20 साल
4- श्री राकेश सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह आयु 18 साल
5- श्रीमती बन्नी देवी पत्नी श्री टील सिंह आयु 65 साल
6- श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री रणवीर सिंह आयु 45 साल
7- चंचल पुत्री श्री टीलसिंह आयु 40 साल
सभी जाति रावतान निवासी थूनी थाक तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0
8- श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट काबरा में पेश हुआ। वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा थूनीथाक पटवार हल्का धोलादांता द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 में हाल खसरा नम्बर 171/2 रकबा 00-15-00 स्थित है जिसे इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार वादी नारायणसिंह पुत्र श्री खंगार जाति रावत है एवं जिस पर कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 05.09.2016 जरिए डिक्री आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के अनुसार वादी के बंटवारे अनुसार हिस्से में आई हुई है। न्यायालय के आदेशानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होकर वादी के हक व कब्जे काश्त में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 171/1 आई जिसका प्रवितादी संख्या 1 खसरा नम्बर 171/1 पर काबिज काश्त है व वादी 171/2 रकबा 00-15-00 पर काबिज काश्त चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादीगण की नियत खराब होने के कारण प्रतिवादीगण संख्यचा 1 लगायत 7 ने 10 जुलाई 2017 को वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 171/2 पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है जो कत्ताई गलत व गैरकानूनी है जिसे हटाया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 केवल मात्र वादी को आश्वासन देते रहते हैं लेकिन उपरोक्त नाजायज तरीके से किये गये अतिक्रमण को वादी की खातेदारी की भूमि से नहीं हटा रहे हैं जिससे वादी को अपनी कृषि भूमि की पैदावार में प्रतिवर्ष 50000/- का नुकसान हो रहा है तथा प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी भी दे रहे हैं, इस कारण उपरोक्त वाद पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आदेशात्मक डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वादपत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के पूरे भाग जो वादी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया उसे हटाया जाकर वादी को कब्जा संम्भलाया जावे व जब से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादी की उपरोक्त आराजी पर कब्जा कर रखा है जब से वादी को 50000/- रू. की सालाना की दर से मुआवजा दिलवाया जावे। कब्जा नहीं देने की सूरत में जरिये पुलिस इमदाद वादी को वादग्रस्त आराजियात पर से कब्जा संम्भलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 8 को उक्तानुसार आदेश प्रदान करावें एवं पुलिस इमदाद का जो भी खर्च होगा उसे वादी वहन करने को तैयार है एवं अन्य अनुतोष तो न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

..............लगातार

सहायक कलक्टर
(मु.) ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रवितादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के परिवार वालों ने सम्मन लेने से मना किया जिससे वे अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री शफी मौहम्मद उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अब तक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आज मज़में आम में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित तथा पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने कथन किए कि उन्होंने वादी की खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का धोलादांता II ने कैम्प के दौरान मौके की रिपोर्ट जरिए तैयार कर जरिए तहसीलदार ब्यावर के प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेशानुसार ग्राम थूनीथक के खसरा संख्या 171 का जरिए विभाजन की डिक्री ख.सं. 171/1 टीलसिंह पुत्र खंगारसिंह, 171/2 नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह व 171/3 लक्ष्मणसिंह गणपतसिंह संतोषसिंह पुत्र भूरसिंह के हिस्से में है। डिक्री बंटवारे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद किया जा चुका है व नक्शे में तरमीम की जा चुकी है परन्तु मौके पर बंटवारे के पूर्वानुसार खसरा नम्बर 171/1 व 171/2 के रोड़ की तरफ के आधे हिस्से पर टीलसिंह पुत्र खंगार सिंह ही काबिज है व पीछे के हिस्से पर नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह का कब्जा है। मौके पर डिक्री बंटवारा अनुसार कब्जा नहीं है। तथा मौके का नज़री नक्शा भी रिपोर्ट में दर्शित किया है। बहस में तहसीलदार ब्यावर ने निवेदन किया कि उक्त अविधिक तरीके से किया गया कब्जा जरिए पुलिस इमदाद हटवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम थूनी थाक का राजस्व नक्शा ट्रेस संवत् 2027 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के पूर्व में पारित निर्णय अनुसार खातेदारान की भूमि में तरमीम किया जाना अंकित है। ग्राम थूनीथाक पटवार हल्का धोलादातां द्वितीय की जमाबन्दी संवत् 20269–72 के खाता संख्या 45 में अन्य खसरान् के साथ अंकित खसरा संख्या 171 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के डिक्री आदेश अनुसार जरिए नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 05.09. 2016 अमल दरामद किया गया है जिसमें अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 171/1 रकबा 00–15–00 टीलसिंह वल्द खंगारसिंह के हिस्से में तथा 171/2 रकबा 00–15–00 नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह के हिस्से में तथा 171/3 रकबा 01–10–00 लक्ष्मणसिंह गणपतसिंह संतोषसिंह पुत्र भूरा धापू बेवा भूरा कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार ब्यावर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 171/2 वादी की खातेदारी की भूमि है एवं वादी की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अतिक्रमी के रूप में काबिज होना पाया गया है। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन न्यायालय की विभाजन की डिक्री अनुसार हुआ है तथा प्रतिवादी ने उक्त न्यायालय के आदेशों के विपरीत वादी की भूमि पर कब्जा करने का अविधिक कृत्य किया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थूनीथाक पटवार हल्का धोलादांता द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के हाल खसरा नम्बर 171/2 रकबा 00–15–00 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के चले आ रहे अतिक्रमण को हटवाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। यदि आवश्यकता हो तो जरिए पुलिस इमदाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के कब्जे को हटवाकर वादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप काबरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपांशु सांगवान)
सहायक कलक्टर
आर0ए0एस0 (प्र.)
(म.) ब्यावर
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम दीपांशु सांगवान आर. ए. एस.(प्रशिक्षु)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – काबरा
राजस्व वाद संख्या 91/2017

श्री नारायण सिहं पुत्र श्री खंगारसिंह आयु 64 साल जाति रावत निवासी थूनी थाक तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब ना म

1– श्री टील सिंह पुत्र श्री खंगार सिंह आयु 71 साल जाति रावत
2– श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह आयु 25 साल
3– श्री कमल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह आयु 20 साल
4– श्री राकेश सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह आयु 18 साल
5– श्रीमती बन्नी देवी पत्नी श्री टील सिंह आयु 65 साल
6– श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री रणवीर सिंह आयु 45 साल
7– चंचल पुत्री श्री टीलसिंह आयु 40 साल
सभी जाति रावतान निवासी थूनी थाक तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0
8– श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री नज़ीर मौहम्मद
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2, 5 से 7 – श्री शफी मौहम्मद
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 91/2017
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 18.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट काबरा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.2018 को दीपांशु सांगवान, आए.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट काबरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थूनीथाक पटवार हल्का धोलादांता द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के हाल खसरा नम्बर 171/2 रकबा 00–15–00 पर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के चले आ रहे अतिक्रमण को हटवाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। यदि आवश्यकता हो तो जरिए पुलिस इमदाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के कब्जे को हटवाकर वादी को कब्जा सुपुर्द किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलक्टर, ब्यावर